

No. F.14(10)/LA-2005/ 145

Dated : the 31st March, 2005

The following Act of the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi received the assent of the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi on the 31st March, 2005 and is hereby published for general information:-

**"THE DELHI APPROPRIATION (NO.2) ACT, 2005
(Delhi Act 7 of 2005)**

(As passed by the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi
on the 30th March, 2005) (31st March, 2005)

An Act to authorise payment and appropriation of sums from and out of the Consolidated Fund of the National Capital Territory of Delhi for the services in respect of the financial Year 2005-2006

BE it enacted by the Legislative Assembly of National Capital Territory of Delhi in the Fifty-sixth Year of the Republic of India as follows :-

Short title.

1. This Act may be called the
Delhi Appropriation (No.2) Act, 2005

Issue of

Rs.12426,01,30,000/-
from and out of the
Consolidated Fund
of the National Capital
Territory of Delhi for
the financial year
2005-2006.

2. From and out of the Consolidated Fund of the National Capital Territory of Delhi there may be paid and applied sums not exceeding those specified in column(5) of the Schedule amounting in the aggregate to the sum of twelve thousand four hundred twenty six crores, one lakh and thirty thousand rupees only towards defraying the several charges which will come in course of payment during the financial year 2005-2006 in respect of the services specified in column(2) of the Schedule.

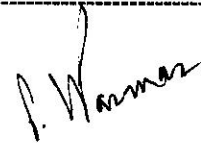
APPROPRIATION.

3. The sums authorised to be paid and applied from and out of the Consolidated Fund of the National Capital Territory of Delhi by this Act shall be appropriated for the services and purposes expressed in the Schedule in relation to the said period.

THE SCHEDULE
(See sections 2 and 3)

(Rs. in thousands)

SUMS NOT EXCEEDING					
Demand No.	Services and Purposes	Voted by the Legislative Assembly	Charged on the Consolidated Fund	Total	
1	2	3	4	5	
1	Legislature	Revenue	64000	4000	68000
2	General Administration	Revenue	442510	23090	465600
		Capital	100000	0	100000
3	Administration of Justice	Revenue	930222	304800	1235022
4	Finance	Revenue	879400	0	879400
5	Home	Revenue	1096720	2500	1099220
		Capital	3000	0	3000
6	Education	Revenue	14182200	3700	14185900
		Capital	358500	0	358500
7	Medical and Public Health	Revenue	8216900	400	8217300
8	Social Welfare	Revenue	3280600	0	3280600
		Capital	13006300	0	13006300
9	Industries	Revenue	486430	500	486930
		Capital	103000	0	103000
10	Development	Revenue	1814778	12900	1827678
		Capital	1292500	20500	1313000
11	Urban Development and	Revenue	15717330	0	15717330
	Public Works	Capital	39390350	750000	40140350
	Public Debt.	Revenue	0	19504300	19504300
		Capital	0	1833700	1833700
12	Loans to Government Servants	Capital	35000	0	35000
13	Pension	Revenue	400000	0	400000
Total			101799740	22460390	124260130 "


(P.S. Parmar)

Deputy Secretary (Law, Justice & Legislative Affairs)

(दिल्ली राजपत्र - असाधारण भाग 4 में प्रकाशनार्थ)

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

(विधि, न्याय एवं विधायी कार्य विभाग)

क.सं. एफ.14(10)/विधायी कार्य-2005/145

दिनांक: 31 मार्च, 2005

उपराज्यपाल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की दिनांक 31 मार्च, 2005 को मिली अनुमति के पश्चात राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा द्वारा पारित निम्नलिखित अधिनियम जन साधारण के सुचनार्थ प्रकाशित किया जा रहा है:-

“ दिल्ली विनियोग (संख्या 2) अधिनियम, 2005

(2005 का दिल्ली अधिनियम 7)

(राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा द्वारा दिनांक 30 मार्च, 2005 को यथा पारित)
(31 मार्च, 2005)

वर्ष 2005-2006 से संबंधित कार्यों के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की संचित निधि से भुगतान प्राधिकृत करने तथा कुछ और राशि का विनियोजन करने के लिए विधेयक।

इसे भारतीय संविधान के 56 वें वर्ष में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की विधान सभा द्वारा निम्नानुसार अधिनियमित किया जाए।

संक्षिप्त शीर्षक।

(1) इस अधिनियम को दिल्ली विनियोग (संख्या 2) अधिनियम, 2005 कहा जाए।

12426,01,30,000/-रुपयों का (2) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की संचित निधि में से वर्ष 2005-2006 में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की संचित निधि में से प्रदत्त और प्रयुक्त।
प्रदत्त और प्रयुक्त राशि जो अनुसूची के कालम (5) में विनिर्दिष्ट से अधिक नहीं, जो कुछ प्रभागों की अदायगी के लिए बारह हजार चार सौ छब्बीस करोड़ एक लाख तीस हजार रुपये की कुल राशि के बराबर है, जो अनुसूची के कालम (2) में विनिर्दिष्ट कार्यों के सम्बन्ध में वर्ष 2005-2006 की अवधि के दौरान भुगतान के रूप में प्रयुक्त होगी।

विनियोजन।

(3) इस अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की संचित निधि में से प्रदत्त और प्रयुक्त किए जाने के लिए प्राधिकृत राशि उक्त अवधि के सम्बन्ध में अनुसूची में उल्लिखित कार्यों और उद्देश्यों के लिए विनियोजित की जायेगी।

अनुसूची
(खण्ड 2 व 3 देखे)

(रुपये हजारों में)

राशि इससे अधिक नहीं

मांग संख्या	सेवायें एवं उद्देश्य	विधान सभा द्वारा संचित निधी पर स्वीकृत	भारित	जोड़
1	2	3	4	5
1	विधान मण्डल	राजस्व 64000	4000	68000
2	सामान्य प्रशासन	राजस्व 442510	23090	465600
		पूंजी 100000	0	100000
3	न्याय प्रशासन	राजस्व 930222	304800	1235022
4	वित्त	राजस्व 879400	0	879400
5	गृह	राजस्व 1096720	2500	1099220
		पूंजी 3000	0	3000
6	शिक्षा	राजस्व 14182200	3700	14185900
		पूंजी 358500	0	358500
7	चिकित्सा व जन स्वास्थ्य	राजस्व 8216900	400	8217300
8	समाज कल्याण	राजस्व 3280600	0	3280600
		पूंजी 13006300	0	13006300
9	उद्योग	राजस्व 486430	500	486930
		पूंजी 103000	0	103000
10	विकास	राजस्व 1814778	12900	1827678
		पूंजी 1292500	20500	1313000
11	शहरी विकास एवं लोक निर्माण	राजस्व 15717330	0	15717330
		पूंजी 39390350	750000	40140350
	सार्वजनिक ऋण	राजस्व 0	19504300	19504300
		पूंजी 0	1833700	1833700
12	सरकारी कर्मचारियों को ऋण	पूंजी 35000	0	35000
13	पेंशन	राजस्व 400000	0	400000
	जोड़	101799740	22460390	124260130

(पी.एस. परमार)

उप सचिव (विधि, न्याय एवं विधायी कार्य)